भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2187
गुरुवार, दिनांक 04 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऋण सीमा</u>

2187. श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का 2022 तक 175 जीडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है;

(ग) क्या सरकार का लोगों को विश्वसनीय, संवहनीय और सस्ती विद्युत प्रदान करने और हरित ऊर्जा स्रोतों के प्रति ऊर्जा मिश्रण में परिवर्तन करने पर ध्यान केन्द्रित करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सीमा को हटाने का अनुरोध किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का निजी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को और ऋण प्रदान करने और विकासकर्ताओं को आसान ऋण में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): जी, हाँ। देश में वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की तुलना में दिनांक 31 मई, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल 80.04 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता संस्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त 64.77 गीगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वयन अथवा बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई कार्यनीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- मार्च, 2022 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत के इंटर-स्टेट विक्रय हेतु इंटर-स्टेट पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों और नुकसानों को हटाना;
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना;
- वितरण लाइसेंस धारक को किफायती तरीके से प्रतिस्पर्धी दरों पर सौर और पवन विद्युत की खरीद करने में समर्थ बनाने के लिए मानक बोली प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों को अधिसूचित करना;
- वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा;

- वृहतस्तरीय अक्षय ऊर्जा क्षमता संयोजन के ग्रिड एकीकरण को सुगम बनाने के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर परियोजना का कार्यान्वयन;
- सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों/उपकरणों की संस्थापना के लिए मानकों को अधिसूचित करना; और
- किसानों के लिए नई योजना, सीपीएसयू चरण-II और सौर रूफटॉप चरण-II कार्यक्रम आरंभ करना।

(ग) अभिप्रेत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) पर जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रलेख के अनुसार वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40 प्रतिशत संचयी विद्युत क्षमता प्राप्त करना अपेक्षित है। तदनुसार सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने के लक्ष्य की योजना तैयार की है।

(घ) सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र से अलग करने और "अक्षय ऊर्जा क्षेत्र" की नई श्रेणी निर्धारित करने पर विचार करने का अनुरोध किया है ताकि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए पूंजी की उपलब्धता बाधित न हो।

(ङ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की संस्थापना की गति में तेजी लाने हेतु हितधारकों के दृष्टिकोण/सुझाव प्राप्त करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में 07 मई, 2019 को एक विचार-विमर्श बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण और परियोजना विकासकर्त्ताओं के लिए सुलभतापूर्वक वित्तपोषण उपलब्ध कराने संबंधी विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से भी प्रतिनिधित्व किया गया था।

****